

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,

उ०प्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 20 मार्च, 2018

विषय- दीनदयाल अन्त्योदय-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे-एनयूएलएम) के अन्तर्गत राज्य एवं शहर स्तर पर तकनीकी विशेषज्ञों एवं सामुदायिक आयोजकों (सी०ओ०) के पदों की निरन्तरता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-917/241/एनयूएलएम/तीन(सीबी एण्ड टी)-वाल्सू०-चार, दिनांक 25.01.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दीनदयाल अन्त्योदय-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे-एनयूएलएम) के अन्तर्गत राज्य स्तर पर 06 तकनीकी विशेषज्ञों एवं 82 शहरों हेतु शहर स्तर पर 198 तकनीकी विशेषज्ञों अर्थात् कुल 204 तकनीकी विशेषज्ञों एवं शहर स्तर पर 474 सामुदायिक आयोजकों (सी०ओ०) के पदों की निरन्तरता शासनादेश संख्या-96/2017/575/69-1-2017-14(104)/2013, दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा दिनांक 28.02.2018 तक के लिये प्रदान की गई थी। अतएव शासनादेश संख्या-226/2015/318/69-1-2015-14(104)/2013, दिनांक 13 मार्च, 2013 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उक्त पदों की दिनांक 01.03.2018 से 28.02.2019 तक की निरन्तरता की सहर्ष स्वीकृति, श्री राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं।

2. उपर्युक्त पदों पर होने वाले व्यय-भार पद सृजन सम्बन्धी शासनादेश में इंगित व्यवस्थानुसार वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये वित्तीय अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार बाजपेयी)

विशेष सचिव।

संख्या-99/2018/206/69-1-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, 20, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
3. संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. सहायक वेबमास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. सम्बन्धित पत्रावली/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)

अनु सचिव।